

सूचना और प्रसारण मंत्रालय

मांग संख्या 59

सूचना और प्रसारण मंत्रालय

क. वसूलियों को घटाने के बाद, बजट आबंटन इस प्रकार है:

		बजट 2007-2008			संशोधित 2007-2008			बजट 2008-2009			
मुख्य शीर्ष		आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	
राजस्व		184.88	1206.84	1391.72	177.19	1210.00	1387.19	287.67	1210.00	1497.67	
पूंजी		290.12	...	290.12	222.81	...	222.81	412.33	...	412.33	
जोड़		475.00	1206.84	1681.84	400.00	1210.00	1610.00	700.00	1210.00	1910.00	
1.	सचिवालय सामाजिक सेवाएं	2251	3.36	18.76	22.12	2.59	20.49	23.08	11.57	21.35	32.92
सूचना और प्रचार											
2.	फिल्में	2220	26.14	42.50	68.64	22.05	49.80	71.85	38.00	46.85	84.85
3.	चलचित्रण फिल्मों का प्रमाणन	2205	1.50	3.09	4.59	0.61	3.62	4.23	1.42	3.24	4.66
4.	जन संचार में अनुसंधान और प्रशिक्षण	2220	0.12	4.99	5.11	0.21	5.78	5.99	2.00	5.23	7.23
5.	विज्ञापन और दृश्य प्रचार	2220	23.41	61.39	84.80	15.81	34.33	50.14	21.76	52.60	74.36
6.	प्रेस सूचना सेवा	2220	0.12	25.01	25.13	8.60	24.87	33.47	10.91	24.94	35.85
7.	क्षेत्रीय प्रचार	2220	0.01	25.99	26.00	0.10	26.17	26.27	0.49	26.25	26.74
8.	संगीत और नाटक प्रभाग	2220	3.56	14.54	18.10	3.56	15.12	18.68	3.56	15.54	19.10
9.	प्रकाशन	2220	0.05	41.64	41.69	0.88	37.99	38.87	0.49	42.24	42.73
10.	इमारतें और मशीनरी	4220	22.08	...	22.08	11.97	...	11.97	26.93	...	26.93
11.	इलेक्ट्रॉनिक मीडिया मानीटरिंग केन्द्र	2220	2.90	3.00	5.90	...	3.00	3.00	...	3.00	3.00
12.	अन्य व्यय	2220	0.04	5.15	5.19	0.61	4.90	5.51	0.75	5.11	5.86
13.	प्रसार भारती को अनुदान सहायता	2221	103.15	960.78	1063.93	103.15	983.93	1087.08	178.76	963.65	1142.41
14.	सरकारी उद्यमों में निवेश										
	14.01 राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम	4220	8.00	...	8.00
	6220	3.10	...	3.10	0.10	...	0.10
	14.02 प्रसार भारती	6221	217.44	...	217.44	166.74	...	166.74	326.40	...	326.40
15.	उत्तर पूर्वी क्षेत्रों और सिक्किम के विकास की परियोजनाओं/योजनाओं के लिए एकमुश्त प्रावधान	2552	20.52	...	20.52	19.02	...	19.02	17.96	...	17.96
	4552	47.50	...	47.50
	6552	44.00	...	44.00	51.00	...	51.00	...
	कुल जोड़	475.00	1206.84	1681.84	400.00	1210.00	1610.00	700.00	1210.00	1910.00	
ख.	सरकारी उद्यमों में निवेश	विकास शीर्ष	बजट समर्थन	आं.ब. बा.सं.	जोड़	बजट समर्थन	आं.ब. बा.सं.	जोड़	बजट समर्थन	आं.ब. बा.सं.	जोड़
	14.01 राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम	22220	3.10	...	3.10	0.10	...	0.10	8.00	...	8.00
	14.02. प्रसार भारती	22221	217.44	...	217.44	166.74	...	166.74	326.40	...	326.40
	जोड़	220.54	...	220.54	166.84	...	166.84	334.40	...	334.40	
ग.	आयोजना परिव्यय										
1.	सूचना और प्रचार	22220	86.39	...	86.39	67.09	...	67.09	125.88	...	125.88
2.	प्रसारण	22221	320.59	...	320.59	269.89	...	269.89	505.16	...	505.16
3.	उत्तर-पूर्वी क्षेत्र	22552	68.02	...	68.02	63.02	...	63.02	68.96	...	68.96
	जोड़	475.00	...	475.00	400.00	...	400.00	700.00	...	700.00	

1. सचिवालय-सामाजिक सेवाएं: इसमें मंत्रालय के सचिवालय के लिए व्यवस्था है जिसमें प्रशिक्षण और मानव संसाधन विकास शामिल हैं।

सूचना तथा प्रचार:

2. फिल्में: इस शीर्ष के अंतर्गत मंत्रालय की निम्नलिखित गतिविधियों के लिए व्यवस्था की गई है, अर्थात् (क) फिल्म प्रभाग, जो भारतीय तथा विदेशी दर्शकों को देश के जीवन के सभी महत्वपूर्ण पहलुओं के बारे में समाचार दर्शनों, लघु वृत्तचित्रों और वृत्तचित्रों के माध्यम से जानकारी देता है, (ख) फिल्म महोत्सव निदेशालय संबंधी व्यय, (ग) फिल्मों के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार, (घ) भारत के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह तथा फिल्म महोत्सवों में पेनोरमा आफ इंडियन फिल्म पर व्यय, (ङ) सिरिफोर्ट, नई दिल्ली में फिल्ममहोत्सव काम्पलेक्स का अतिरिक्त निर्माण और परिवर्तन, (च) भारतीय राष्ट्रीय फिल्म अभिलेखागार जो राष्ट्रीय और विदेशी सिनेमा की उत्कृष्ट फिल्मों को सुरक्षित रखता है, (छ) भारतीय बाल फिल्म सोसायटी को अनुदान जो बच्चों के लिए

फिल्मों का निर्माण तथा वितरण करती है, (ज) भारतीय फिल्म और दूरदर्शन संस्थान पूणे को अनुदान जो फिल्म निर्माण की कला एवं तकनीक में प्रशिक्षण देता है, और (झ) सत्यजीत रे फिल्म एवं दूरदर्शन संस्थान, कोलकाता को अनुदान।

3. चलचित्रकला फिल्मों का प्रमाणन: इसके अन्तर्गत (i) केन्द्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड और (ii) फिल्म प्रमाणन अपीलीय न्यायाधिकरण पर व्यय की व्यवस्था की गई है।

4. जन संचार में अनुसंधान तथा प्रशिक्षण: इस शीर्ष के अन्तर्गत निम्नलिखित के लिए व्यवस्था शामिल है:- (क) भारतीय जन संचार संस्थान, जो एक स्वायत्त निकाय है और जन संचार माध्यम में प्रशिक्षण तथा पत्रकारिता में पाठ्यक्रम आयोजित करता है, और (ख) अनुसंधान एवं संदर्भ प्रभाग, जो मंत्रालय और उसके माध्यम एकको, विदेशों में भारतीय मिशनों और समाचार पत्रों तथा मीडिया

एजेंसियों के लिए मीडिया के हित में महत्वपूर्ण विषयों पर बुनियादी सूचना इकट्ठा करता है और उसका समन्वय करता है।

5. **विज्ञापन तथा दृश्य प्रचार:** इसके अन्तर्गत विज्ञापन तथा दृश्य प्रचार निदेशालय के व्यय के लिए व्यवस्था की गई है जो कि विज्ञापन तथा अन्य प्रकाशित सामग्री के जरिए और साथ ही रेडियो, दूरदर्शन, प्रदर्शनियों तथा अन्य बाह्य प्रचार माध्यमों के जरिए प्रचार अभियानों का कार्यक्रम बनाता है तथा उन्हें क्रियान्वित करता है।

6. **प्रेस सूचना सेवाएं:** इसके अन्तर्गत निम्नलिखित के लिए व्यवस्था शामिल है, (क) प्रेस सूचना ब्यूरो जो सरकार तथा प्रेस के बीच एक कड़ी के रूप में काम करता है तथा सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों की प्रचार तथा जन सम्पर्क संबंधी आवश्यकताओं को देखता है (ख) भारतीय प्रेस परिषद, को अनुदान, जो एक वैधानिक संगठन है, और जो प्रेस की स्वतंत्रता को सुरक्षित रखने का प्रयत्न करता है, और (ग) प्रेस ट्रस्ट आफ इंडिया के माध्यम से गुटनिरपेक्ष समाचार एजेंसी पूल के भारतीय समाचार पूल डेस्क का संचालन करने के लिए व्यवस्था।

7. **क्षेत्रीय प्रचार:** इसमें क्षेत्र प्रचार निदेशालय तथा उसके जिला स्तरीय क्षेत्रीय एककों के खर्च के लिए व्यवस्था की गई है जो कि फिल्म प्रदर्शनों, सीधे मीडिया कार्यक्रमों, फोटो प्रदर्शनियों तथा संगोष्ठियों के माध्यम से व्यक्तियों के बीच विकास संबंधी संचार के क्षेत्र में कार्यरत है।

8. **संगीत तथा नाटक प्रभाग:** इसके अन्तर्गत की गई व्यवस्था संगीत तथा नाटक प्रभाग के लिए है जो देश भर में फैले हुए अपने एककों के माध्यम से राष्ट्रीय विकास के विभिन्न कार्यों के बारे में, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में, जनसाधारण को अवगत कराने के लिए सजीव मनोरंजन के माध्यम का प्रयोग करता है।

9. **प्रकाशन:** इसके अन्तर्गत मंत्रालय के प्रकाशन प्रभाग के खर्च के लिए व्यवस्था की जाती है जो कि विभिन्न किस्म के विषयों पर अंग्रेजी, हिन्दी तथा अन्य क्षेत्रीय भाषाओं में समूल्य पुस्तकें, पत्रिकाएं और अन्य मुद्रित सामग्री प्रकाशित करता है। प्रकाशन प्रभाग, अंग्रेजी, हिन्दी, उर्दू में साप्ताहिक रोजगार समाचार भी निकालता है।

10. **भवन और मशीनरी:** इसमें निम्नलिखित निर्माण कार्यों पर होने वाले

पूँजीगत व्यय के लिए व्यवस्था शामिल है (क) फिल्म डिवीजन मुम्बई के लिए बहुमंजली इमारत के निर्माण, (ख) राष्ट्रीय फिल्म अभिलेखागार, पुणे के लिए कार्यालय की इमारत, चरण-II (ग) फिल्म महोत्सव निदेशालय द्वारा सिरिफोर्ट काम्पलेक्स, दिल्ली में परिवर्धन एवम् परिवर्तन (घ) भारतीय जन संचार संस्थान की निर्माण एवं आवास परियोजना (ङ) प्रेस सूचना ब्यूरो के मिनी मीडिया केन्द्र की स्थापना तथा फिल्म प्रभाग, तथा सीबीएफसी, पी.आई.बी., डी एफ पी. एफ टी आई आई पुणे, फोटो प्रभाग, भारतीय जन संचार संस्थान, नई दिल्ली इलेक्ट्रॉनिक मीडिया मानीटरिंग केन्द्र और संगीत और नाटक प्रभाग के लिए आधुनिकीकरण कार्यक्रमों के अंतर्गत उपस्करों की अधिप्राप्ति।

11. **केन्द्रीय मानीटरिंग सेवाएं:** इसके अंतर्गत कार्यक्रम संहिता और विज्ञापन संहिता के उल्लंघन के लिए टेलीविजन चैनलों रेडियो के मानीटरिंग के लिए प्रावधान हैं।

12. **अन्य खर्च:** इसके अन्तर्गत फोटो डिवीजन, भारतीय समाचार पत्रों के रजिस्ट्रार के व्यय हेतु प्रावधान और संचार के विकास सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रीय कार्यक्रम तथा एशिया इंस्टीट्यूट आफ ब्राडकास्टिंग डेवलपमेंट के लिए अंशदान की व्यवस्था शामिल है।

13. **प्रसार भारती को सहायता अनुदान -** प्रसार भारती को अपने राजस्व व्यय हेतु संसाधनों में आए अन्तर को पूरा करने के लिए सहायता अनुदान दिया जा रहा है।

14. सरकारी उद्यमों में निवेश :

14.01 **राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम:** यह मंत्रालय के अधीन कार्यरत एक सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम को वित्तीय सहायता है जो कि इसकी मनोरंजन मीडिया, फिर्मा के क्षेत्र में विकासात्मक क्रियाकलापों के लिए है।

14.02 **प्रसार भारती:** प्रसार भारती को अपने पूँजीगत व्यय के वित्तपोषण के लिए यह ऋण प्रदान किया जा रहा है। राष्ट्रमंडल खेलों के लिए मेजबान के रूप में अन्तरराष्ट्रीय प्रसारण केन्द्र की स्थापना करने के लिए भी प्रावधान है।

15. पूर्वी क्षेत्र और सिक्किम के विकास हेतु बनी परियोजनाओं/योजनाओं के लिए प्रावधान है।